

निविदादाता को ई-निविदा प्रपत्र भरने हेतु नियम एवं आवश्यक दिशा निर्देश

निविदाकार को वेबसाइट पर डाले गये निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य होगा तथा समस्त प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रति स्कैन कर आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र दो भागों में अपलोड कराना होगा।

1. निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 3540 (3000 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित) तथा धरोहर धनराशि रुपये 11000.00 “**Superintending Engineer, Electricity Urban Distribution Circle, Muzaffargarh**” के नामे **Punjab National Bank, Shiv Chowk, Muzaffargarh** के बैंक खाता संख्या-**0332002100036077, IFSC Code - PUNB0033200** में आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से अलग-अलग जमा कर साक्ष्य के रूप में यू०टी०आर० संख्या, पे-इन-स्लिप की प्रति (इश्यूइंग बैंक के कन्फरमेशन मेल की प्रति) ई-टेंडर के प्रपत्रों के साथ आन-लाईन अपलोड करना होगा। उक्त जमा धनराशि की बैंक खाते से पुष्टि कर निविदा के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही किया जायेगा।
2. प्रपत्र भाग दो में सिर्फ निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न BOQ/Price Bid में दर अपलोड करना होगी।
3. उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०/प०वि०वि०नि०लि० के अन्तर्गत निविदित/समान प्रकृति के कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किये जाने के अनुभव प्रमाण पत्र एवं कार्य आदेश की छायाप्रति ई-निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करना आवश्यक है।
4. पैन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं जी०एस०टी० पंजीकरण (With Active Status) की छायाप्रति निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करना आवश्यक है।
5. निविदा प्रपत्रों के साथ उपलब्ध **Declaration (Annexure-III)** निविदाकार द्वारा संलग्न किया जाना आवश्यक होगा (**Must be executed on a non-judicial stamp paper**)
6. निविदाकार के पास विगत 05 वित्तीय वर्षों में से 03 श्रेष्ठ वर्षों का औसत टर्नओवर रू० 16 लाख से कम नहीं होनी चाहिए जिसके लिए विगत 05 वित्तीय वर्षों की सी०ए० द्वारा सत्यापित (सी०ए० के यू०डी०आई०एन० अंकित होना चाहिए) प्रोफिट एवं लॉस एकाउन्ट, बैलेन्स शीट या टर्नओवर सर्टीफिकेट की छायाप्रति ई-निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करनी आवश्यक है।
7. वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं रखा जायेगा।
8. निविदाकार द्वारा निविदा के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त वाहन की आर०सी० की प्रति निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करनी आवश्यक है।
9. वाहन द्वारा कम से कम 12 किमी/लीटर का औसत डीजल उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
10. वाहन के रखरखाव/रिपेयर पर आने वाला व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किया जायेगा। वाहन के ब्रेक-डाउन की दशा में अधिकतम 06 घंटे में वाहन मालिक द्वारा दूसरा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा अन्यथा उसके बीजक से आवश्यकत कटौती की जायेगी।
11. वाहन चालक सहित किराये पर लिया जायेगा एवं वाहन तथा चालक की उपलब्धता 24 घंटे रहेगी। ड्राइवर की नाइट शिफ्ट का कोई भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा।
12. वाहनों के लिए किराये के अतिरिक्त अन्य कोई देय जैसे कि मोबिल आयल, ब्रेक ऑयल, गाडी की सर्विस आदि का कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. वाहन के रखरखाव/रिपेयर पर आने वाला व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किया जायेगा। वाहन के खराब की दशा में अधिकतम 06 घंटे में वाहन मालिक द्वारा दूसरा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा अन्यथा उसके बीजक से आवश्यकत कटौती की जायेगी।
14. फर्म स्वामी का जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत नवीनतम एवं वैध चरित्र प्रमाण पत्र प्रति ई-निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करनी होगी।
15. निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र ई-निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करना होगा कि उसकी फर्म को उ०प्र०पा०का०लि० के अन्तर्गत किसी भी डिस्कॉम में काली सूची में नहीं डाला गया है।
16. प्रबन्ध निदेशक महोदय, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ के अनुमोदन उपरान्त अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष तक विस्तारित की जा सकती है।